

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 रा.प्रा.वि.जाणियों की ढाणी (डाबलीसरा)

प्रार्थीगण
हनुमानराम पुत्र फूसाराम जाति
जाट निवासी डाबलीसरा, चवा
तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. गुणेशाराम पुत्र धर्माराम
2. हडुमानराम पुत्र सूराराम
3. ठाकराराम पुत्र सूराराम
4. हडमानराम पुत्र कुम्भाराम
5. लिखमाराम पुत्र गंगाराम
6. हुकमाराम पुत्र गंगाराम जातियान जाट निवासी डाबलीसरा (चवा) तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्वान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या-328/2019 दिनांक-24.11.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा डाबलीसरा, पटवार हल्का चवा तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 793/26 रकबा 34.07 बीघा किस्म बारानी सोयम के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुऐ एक निश्चित तारीख मुकरर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजः) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर

क्रमांक/रीडर/2021/6445-6448

दिनांक- 24/11/2021

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी चवा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी हनुमानराम पुत्र फूसाराम निवासी डाबलीसरा, चवा तहसील व जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थी गुणेशाराम पुत्र धर्माराम वगैराह जातियान जाट निवासीयान डाबलीसरा, चवा तहसील व जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर